न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या: 00/2017

दायर दिनांक: 20/06/2017

निर्णय दिनांक : 17/11/2017

1. सुखदेव पुत्र हरजी

2. राधाकिशन पुत्र हरजी

3. रामेश्वर पुत्र हरजी

4. जगदीश पुत्र हरजी

5. रोडू पुत्र स्व. गोवर्धन

समस्त जाति जाट, निवासी: ग्राम चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादीगण

बनाम

1. छोगाराम पुत्र स्व. बीज्या

2. रामलाल पुत्र स्व. बीज्या

3. सुजा पुत्र स्व. बीज्या

समस्त जातियान जाट निवासीयानः चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।

4. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा फागी, जिला जयपुर।

6. दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा फागी, जिला जयपुर।

6. आईसीआईसीआई बैंक, शाखा सांगानेर, जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री पप्पूलाल सैनी एडवोकेट
विद्वान अभिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 3

निर्णय दिनांकः 17/11/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी सं. नया 507 के खसरा नंबर 2101 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2295 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा. खसरा नंबर 2296 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा. खसरा नंबर 2306 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसमें वादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा के एकमात्र तन्हा खातेदार काश्तकार है एवं इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है एवं लगान सरकारी जमा करवाते आ रहे है। आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. बीज्या की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है आराजीयात पर वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही संपूर्ण भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है आराजीयात को प्रतिवादीगण के पिता स्व. बीज्या ने अपने जीवनकाल में ही वादीगण को जरिये राजीनामा संपूर्ण भूमि दे दी। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री हो गया लेकिन वादीगण द्वारा सवहन से उक्त निर्णय व डिक्री की पालना नहीं हो सकी इसलिए वादीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में उक्त डिक्री व निर्णय का अमल नहीं हो सका एवं प्रतिवादीगण के पिता बीज्या के देहान्त के पश्चात विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादीगण के पक्ष में गलत खुल गया जबकि आराजी में प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है न ही आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है इसलिये वादीगण उक्त निर्णय व डिक्री मुताबिक राजीनामा के आधार पर उक्त आराजीयात के खातेदारी अधिकारो

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा उनवानी वाद सुखदेव वगै0 बनाम बीज्या वगै0 मान्य न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक के यहां प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता बीज्या द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा अनुसार मान्य न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक द्वारा दिनांक 21.06.1981 को उक्त वाद डिग्री फरमाया गया लेकिन कानून से अनभिज्ञ होने के कारण वादीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री की इजराय पेश न कर, नकल पटवारी हल्का को पेश कर दी। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण खोले जाने का आश्वासन दे दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा दिये गये आश्वासन पर वादीगण आश्वस्त रहे लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण नहीं खोला गया और ना ही इजराय की जानकारी बताई इस कारण स्व. बीज्या के देहांत के पश्चात प्रतिवादीगण के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खुल गया। आराजी का नामान्तकरण मुताबिक डिक्री राजीनामा अनुसार वादीगण के पक्ष में खुलना चाहिए था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण कानाम गलत दर्ज हो गया। गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण आराजीयात को रहन बेचान करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। आराजीयात पर वादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चल आ रहे है अगर प्रतिवादगण अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर रहन बेचान कर दे तो वादीगण को अपने हक व अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी इसलिये न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। आराजीयात को वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है आराजी बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के मध्य माननीय न्यायालय में राजीनामा होकर आराजी बाबत घोषणा डिग्री हो चुका है। राजीनामा डिक्री अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण काबिज काश्त है दोनो पक्षकारान राजीनामा से कानूनन पाबंद है इसलिये आराजीयात की खातेदारी अधिकार पाने के वादीगण अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 रहन बेचान करने पर आमादा है अगर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उकत

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियो को रहन बेचान कर दिया तो वादीगण को अपने हक व अधिकारो से वंचित होना पडेगा इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व से ही उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से करीबन 70 वर्षों से शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है इसलिए कानूनन वादीगण आराजी की खातेदारी अधिकारो की राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने किसान कार्ड बनवाने के लिये अभी हाल में ही नकले ली तो उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम होने की राजस्व अभिलेखो में जानकारी हुई एवं वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को अपने नाम हटवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने आश्वासन दिया कि आपके नाम हमने राजीनामा से डिक्री करवा रखी है एवं आपका आराजी पर कब्जा काश्त है हम अपने पक्ष में दर्ज रिकॉर्ड नाम को हटवाकर इन्द्राज दुरूस्त करवाकर आपके नाम लगवा देंगे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की नियत में जमीनो के भाव बढ जाने से फितुर उत्पन्न हो गया एवं नाम लगवाने से आनाकानी करने लग गये इसलिये वादीगण को उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 06.06.2017 को आराजीमात पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि को संभालने गये तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दो तीन अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर आये एव इशारा करके कहने लगे कि हमने उक्त जमीन का सौदा कर लिया है एवं जमीन हमारे नाम है इसलिए आराजी का बेचान रहन करके तुम्हे कब्जे काश्त से बेदखल करके ही दम लेगे हमने आराजी का एक महीने पहले ही इकरारनामा करवा दिया है, अब एक दो दिन में विक्रय पत्र तस्दीक करवायेगे. अगर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो वादीगण को असहनीय हानि होगी व्यर्थ मुकदमेबाजी होगी इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

फरमाया जाकर घोषणा की जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के वादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण का नाम इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे इस बाबत पालना रिपोर्ट तहसीलदार फागी को भिजवायी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त उपयोग/उपभोग में मजाहमत न करे, न आराजी के हिस्से व कब्जे काश्त से बेदखल करे, न आराजी को रहन, बेय, मुन्तकिल करे, उपरोक्त कृत्य न स्वयं करे, न अन्य से करावे, वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहने दे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 04.08.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री पप्पूलाल सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 10.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध बावजूद प्रोपर तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 09.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वकील वादी ने साक्ष्य में रोडू पुत्र गोवर्धन जाट एवं रामेश्वर पुत्र हरजी जाट निवासी चांदमाकला के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, इकबालिया जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 3, शपथ पत्र रोडू पुत्र गोवर्धन जाट एवं रामेश्वर पुत्र हरजी जाट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2151 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2295 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 2296 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 2305 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
सुखदेव व अन्य
बनाम
छोगाराम व अन्य

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 — 60/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिसलात्मिल मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2151 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2295 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नबर 2296 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 2305 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे।

निज...—...मुबलिग...—...बाबत...—...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...—...फीसदी...—...सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...—...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/11/2017 को जारी की गई।

दस्तखत... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा... फागी (जयपुर)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—NIL—		फीस कमीश्नर	—NIL—	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय दुबगनामा		
बबत इजराय दुबगनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी